कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल।

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0–मरार, जिला–रामगढ़ पिन–829117)
Email id – dfo-ramgarh@gov.in, Land Line No-06553-296061, Mobile No-8987790306

पत्रांकः– 1545 दिनांकः– 02-07-2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
बोकारो

विषय :– मेसर्स आलोक स्टील इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के मिनी प्लांट हेतु 9.27 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः–
1. **आपका कार्यालय पत्रांक– 494 दिनांक 23.06.2025**
2. **आपका कार्यालय पत्रांक– 407 दिनांक 29.04.2025**
3. **आपका कार्यालय पत्रांक– 619 दिनांक 18.07.2024**

महाशय,

सादर सूचित करना है कि संबंधित वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दो बार और उसी क्रम मे भवदीय के कार्यालय से तीन बार पृच्छाएँ की जा चुकी है, अतः अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि संबंधित पृच्छाओं के सम्पूर्ण निवारण के लिए कालक्रमवद्ध विस्तृत सूचना आवश्यक है, जो निचे दी जा रही है :–

1. इस प्रस्ताव FP/JH/ENCRCH/39652/2019 में कुल 9.27 हे0 वन भूमि यथा 7.0 हे0 जंगल झाड़ी एवं 2.27 हे0 अधिसूचित वन भूमि सन्निहित है। यह प्रस्ताव अपयोजन हेतु वर्ष 2019 में समर्पित किया गया था। प्रस्ताव का category, encroachment है, जो कि self-explanatory है, कारण कि 7.0 हे0 जंगल झाड़ भूमि पहले से खण्डित थी और 2.27 हे0 अधिसूचित वन भूमि प्रस्ताव के साथ सम्मिलित किया गया है, जो कि आज कि तिथि में अखण्डित है।

2. 9.27 हे0 भूमि में 7 हे0 भूमि जंगल झाड प्रकृति का है, जो आवेदक के कब्जे में वर्ष 2004–05 से है। आवेदक ने ये भू–खण्ड केवाला के माध्यम से वहाँ पर रैयतो से प्राप्त की थी, यानि वर्ष 2004–05 में उक्त 7 हे0 भू–खण्ड किन्हीं रैयतों के नाम पर बन्दोबस्त थी, जिसका रसीद भी निर्गत हो रहा था। भूमि का प्रकार जंगल झाड़ी होने के कारण और 1996 के उपरांत औधोगिक ईकाई के स्थापना के कारण तत्कालीन वन अधिकारियों द्वारा project category को encroachment category में आवेदन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित किया गया होगा, ताकि केन्द्र सरकार के संज्ञान में सभी तथ्य पारदर्शिता के साथ आ सके।

3. वर्ष 2019 में वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत, प्रयोक्ता अभिकरण को प्रक्रियानुसार GMJJ NOC जमा करने हेतु निर्देशित किया गया।

4. GMJJ NOC प्राप्त करने के प्रक्रिया के दौरान, 1996 के उपरांत जंगल झाड़ी भूमि पर औधोगिक ईकाई के अधिष्ठापण का मामला राजस्व विभाग के संज्ञान में आया एवं उनके द्वारा पूर्व से कायम जमाबंदी की समीक्षा करने के उपरांत नियमानुसार आगे की प्रक्रिया एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई। राजस्व विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से सरकारी भूमि के NOC हेतु राजस्व की मांग भी की गई, जो कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 80 प्रतिशत जमा भी कर दिया गया है।

5. उपरोक्त तथ्यों पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक– FP/JH/ENCRH/39652/2019/436 दिनांक 11.07.2024 के कंडिका– 1 द्वारा पृच्छा भी की गई, कि राजस्व विभाग या वन विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है (जो कि आपके प्रासंगिक पत्र (3) द्वारा प्रेषित की गई थी) । प्रासंगिक 7 हे0 भूमि वन विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अतः राजस्व विभाग से इस पृच्छा के क्रम में पत्राचार किया गया। उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा अपना पक्ष रखा गया, जो कि आपको पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक–1723 दिनांक 04.09.2024 द्वारा आपको प्रेषित् किया जा चुका है। आपके कार्यालय पत्रांक– 809 दिनांक 10.09.2024 द्वारा उसे उच्चाधिकारियों को अग्रसारित भी किया जा चुका है। उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा दिया गया उत्तर दृष्टव्य है (**अनुलग्नक–A**)।

6. उपरोक्त जवाब क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पास पहुँचने के उपरांत उनके द्वारा पुनः अपने पत्रांक– FP/JH/ENCRH/39652/2019/724 दिनांक 02.12.2024 द्वारा पृच्छा की गई। इस पत्र का आशय यह था कि क्या यह जंगल–झाड़ भूमि 1980 के पूर्व कृषि कार्यो हेतु बन्दोबस्त किया जा चुका था या नहीं ? हालांकि यहाँ भी यह बात गौरतलब है कि जंगल झाड़ की विधिक जमाबन्दी पर 12.12.1996 के सर्वोच्च न्यायालय के बाद ही रोक लगा है।

उपरोक्त पत्र सीधे उपायुक्त को भी प्रेषित् था, जिसका जवाब उन्होनें अपने पत्रांक–165/रा0 दिनांक 01.02.2025 द्वारा सीधे प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी (एफ0सी0) को भेज दिया था। इसके उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी (एफ0सी0) के कार्यालय से उपायुक्त के उत्तर को अधोहस्ताक्षरी के मंतव्य के साथ प्रेषित करने की मांग की गई, जिसे इस कार्यालय के पत्रांक–607 दिनांक 01.03.25 द्वारा भेजा गया था। इस मंतव्य में अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह लिखा गया था कि, ''उपलब्ध पंजी–II जिसमें 1984–85 से रिकार्ड उपलब्ध कराया गया है, 1996 से पूर्व का है।'' इस मंतव्य और उपायुक्त के रिपोर्ट में कोई भिन्नता नहीं थी। उपायुक्त के रिर्पोट में अंकित *''पुरानी पंजी–II के जमाबंदी का मिलान 1951–52 से वर्ष 1983–84 तक कायम जमाबंदी से मिलान किया गया। उपरोक्त जमाबंदी पुरानी पंजी–II में कायम नहीं है।''* से यह निष्कर्ष निकलता है कि आजादी से लेकर वर्ष 1983–84 तक लगान वसूली के प्रमाण पंजी II में नहीं अंकित है, परन्तु उसके बाद से अंकित हैं।

7. पुनः प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी (एफ0सी0) के कार्यालय ज्ञापांक–331 दिनांक 22.04.25 और आपके प्रासंगिक पत्र–2 के माध्यम से सुस्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध करानै हेतु निदेशित किया गया, जिसपर इस कार्यालय के पत्रांक–1121 दिनांक 05.05.25 द्वारा ज्यादा विस्तृत मंतव्य न देकर केवल यह लिखा गया कि, ''जो दर्शाता है कि जमाबन्दी काफी पुरानी है।''

8. आपके कार्यालय के प्रासंगिक पत्र–1 द्वारा अधोहस्ताक्षरी के मंतव्य को, ''जमाबन्दी पुरानी पंजी– II में कायम नहीं है, जो दर्शाता है कि जमाबन्दी काफी पुरानी है।'' उद्धृत किया गया है जो कि उपायुक्त के आखरी पद्धांश, ''जमाबन्दी पुरानी पंजी–II में कायम नहीं है'' को अधोहस्ताक्षरी के मंतव्य, ''जो दर्शाता है कि जमाबन्दी काफी पुरानी है।'' को साथ में जोड़ दिया गया है। इसके कारण गलत व्याख्या हो रही है।

9. पंजी–II कई भोल्यूम में होते हैं और पंजी II भोल्यूम– I हीं पुरानी पंजी कहलाती है।

10. उक्त परिदृश्य में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जा रही पृच्छाओं का आशय समझना आवश्यक है। अधोहस्ताक्षरी के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जा रही पृच्छाओं का आशय और मंतव्य निम्नवत हैः–

क्र.सं.	आशय	मंतव्य
1	क्या परियोजना में सन्निहित जंगल–झाड़ी भूमि पर पूर्व से जमाबन्दी थी।	उपायुक्त के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1984–85 से पंजी–II भोल्यूम संख्या–01 में लगान वसूली के प्रमाण है।
2	क्या जंगल–झाड़ी की जमाबन्दी 1980 के पूर्व की है ?	उपायुक्त के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1984–85 से पंजी– II भोल्यूम संख्या–01 में कैफियत कॉलम में प्रथम रसीद संख्या–549032 दिनांक 21.01.1955 आदि दर्ज तो है लेकिन पंजी– II में 1955 से 1983–84 तक लगान वसूली दर्ज नहीं है। अतः इस पर कुछ निश्चितता से नहीं कहा जा सकता है।
3	क्या जंगल–झाड़ी की जमाबन्दी 1996 के पूर्व की है ?	क्योंकि उपायुक्त के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1984–85 से पंजी– II भोल्यूम संख्या–01 में लगान वसूली के प्रमाण है, अतः 1996 के पूर्व से जमाबन्दी के प्रमाण है।
4	क्या जमाबन्दी वैध है ?	नहीं और इसलिए उपायुक्त रामगढ़ के पत्रांक 920 दिनांक 23.08.2024 जो कि इस कार्यालय के पत्रांक–1723 दिनांक 04.09.2024 द्वारा अग्रसारित है, में संलग्न अंचल अधिकारी, माण्डू के पत्र के अनुसार पूर्व से कायम जमाबन्दी को रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ में नियमानुसार प्रयोक्ता अभिकरण से सरकारी भूमि के लिए बजार दर पर राशि जमा कराई गई है।

क्र.सं.	आशय	मंतव्य
5	राजस्व विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की गई ?	इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक–1723 दिनांक 04.09.2024 द्वारा उत्तर दिया जा चुका है, जो कि स्वंय व्याख्यात्मक है।
6	क्या प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा जानकारी होते हुए भी जंगल झाड़ी भूमि का 1996 के उपरांत औधोगिक प्रयोग में लाया गया है ?	नहीं। दस्तावेजों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण ने भूमि रैयतो से 2004–05 में प्राप्त की थी, जिसपर लगान रसीद निर्गत हो रहा था और आम समझ के अनुसार भूमि का प्रकार रैयति माना गया। इसके बाद वर्ष 2010–11 में दाखिल खारिज भी स्वीकृत किया गया था और प्रयोक्ता अभिकरण शांतिपूर्वक दखलकार है।

अतः उपरोक्त परिदृष्य जो भवदीय के पटल पर रखी गई है के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची को उनके द्वारा की गई पृच्छा का निराकरण भेजने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

आपका विश्वासी,

Nitish 02/7/25

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ।

ANX-A

कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी
पत्रांक 2886
दिनांक 29/8/24
रामगढ़ वन प्रमंडल

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।

(राजस्व शाखा)

दूरभाष : 06553–261555(O) Email ID: dc-ramgarh@gov.in

पत्रांक 920 /रा0

प्रेषक,

उपायुक्त,
रामगढ़।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
रामगढ़।

Concerned file

रामगढ़, दिनांक 23/08/2024

विषय :– **मेसर्स आलोक इण्डस्ट्रीज के प्लांट हेतु 9.27 हेक्टयर वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– आपका पत्रांक–1439, दिनांक–19.07.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कार्यालय पत्रांक–864/रा0, दिनांक–05.08.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी, माण्डू से जाँचोपरांत प्रतिवेदन की मांग की गई। उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, माण्डू के द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–890, दिनांक–20.08.2024 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन
Chandan 23/08/24
उपायुक्त,
रामगढ़।

Nitish Kumar
Divisional Forest Officer
Ramgarh Forest Division

कार्यालय अंचल अधिकारी, माण्डू (रामगढ)

पत्रांक 890

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
माण्डू।

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता
रामगढ।

माण्डू दिनांक 20/08/2024

विषय :— मेसर्स आलोक इण्डस्ट्रीज के प्लांट हेतु 9.27 हेक्यर वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :— भवदीय पत्रांक 864 / रा0, दिनांक 05.08.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी, जॉचोंपरान्त इनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा बुढाखाप खाता सं0— 01, प्लॉट सं0— 238, 272, 258 एवं 345 रकबा— 17.31 ए0 भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास किस्म जंगल दर्ज है।

उक्त भूमि पर मेसर्स्त आलोक स्टील प्रा0 लि0 का कारखाना वर्ष 2005 से संचालित है। भूमि मेसर्स आलोक स्टील प्रा0लि0 को कई निबंधित केवाला द्वारा खरीदगी से प्राप्त है तथा अद्यतन लगान रसीद भी निर्गत है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्र0 सं0	मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं	रकबा (ए0)	केवाला संख्या एवं वर्ष	दा0 खा0 केश नं0 / वर्ष	लगान रसीद वर्ष
1	बुढाखाप	01	238	0.02	4040 / 18.03.2004	738 / 2010–11	2023–24
2		01	256	0.62	6775 / 03.05.2005 एवं 19547 / 24.12.2004	720 / 2010–11 729 / 2010–11	2023–24
3		01	272	15.03	4297 / 23.03.2004	737 / 2010–11	2023–24
					4419 / 24.03.2004	733 / 2010–11	
					4919 / 06.04.2004	732 / 2010–11	
					6778 / 03.05.2005	721 / 2010–11	
					6779 / 03.05.2005	728 / 2010–11	
					6771 / 03.05.2005 एवं अन्य	727 / 2010–11 एवं अन्य	

Nitish Kumar
Divisional Forest Officer
Ramgarh Forest Division

Umesh Sir

4	बुढाखाप	01	345	1.44	4294 / 22.03.2004	736 / 2010–11	2023–24
					4295 / 22.03.2004	735 / 2010–11	
					4293 / 22.03.2004	741 / 2010–11	
					6790 / 03.05.2005	742 / 2010–11	
					6784 / 03.05.2005 एवं अन्य	743 / 2010–11 एवं अन्य	

इस प्रकार प्रश्नगत भूमि पर पूर्व से ही दाखिल खारिज के आधार पर जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद निर्गत हो रहा है, जिस कारण अंचल कार्यालय के द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई नही की गयी है।

परन्तु भूमि का किस्म जंगल झाड़ी के संज्ञान में आने के पश्चात् विभागीय निर्देश के आलोक में अंचल कार्यालय के द्वारा वर्ष 2022 में डायरेक्टर मेसर्स आलोक स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 को Forest Clearance करते हुये भूमि को लीज में लेने का निर्देश दिया गया तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत Settelment of Rights की प्रक्रिया की गयी। गैरमजरुआ भूमि का NOC निर्गत करने के पूर्व भूमि गणना तालिका के अनुसार बाजार दर का 80 प्रतिशत राशि 3,56,13,739/– (तीन करोड़ छपन लाख तेरह हजार सात सौ उनचालीस) कम्पनी को सरकारी कोषागार में जमा करने का निर्देश दिया गया। उक्त के आलोक में कम्पनी के द्वारा ई–चालान संख्या GRN 2213224292 दिनांक 01.09.2022 के माध्यम से राशि जमा करा दिया गया है। विभागीय कार्यवाही चल रही है, 20 प्रतिशत की शेष राशि प्राप्त कर लीज देने की प्रक्रिया की जाएगी साथ ही पूर्व से कायम जमाबंदी को नियमानुसार रद्द भी किया जायेगा।

अतः जाँच प्रतिवेदन भवदीय को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

Nitish Kumar
Divisional Forest Officer
Ramgarh Forest Division

विश्वासभाजन
अंचल अधिकारी
माण्डू

Umesh Sir